

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
105/2023

दायर दिनांक  
17.03.2023  
उनवान

निर्णय दिनांक  
30.01.2024

1. कस्तुर पिता ज्वाना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरी पुत्री लालुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. सायरी पुत्री लालुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्री कालु सिंह पिता, नन्दसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री गणपत सिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्रीमति दशरथकंवर पत्नि गणपत सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. श्री पप्पुसिंह पिता नन्दसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
7. भेरुकंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
8. भंवरकंवर पत्नि नन्दसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
9. लाली कंवर पुत्री नन्दसिंह नाबालिग बली संरक्षक माता भंवरकंवर पत्नि नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
10. कैलाशकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
11. श्री नारायण सिंह पिता उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
12. पूरणकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
13. हीरा कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी सांगवा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

*Handwritten signature*  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

14. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी, मांगी लाल सेन  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही


-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगवा प०ह० सांगवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजियात 741/1, 741/2 कुल किता 02 कुल रकबा 2.2002 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

  
प्रमुख अधिकारी  
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सांगवा प0ह0 सांगवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजियात 741/1, 741/2 कुल किता 02 कुल रकबा 2.2002 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
जयखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा